राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक:एफ.7(4)विविध / अकाद / आकाशि / 2021 / 241 दिनांकः 16 अगस्त, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की पूर्ण पालना करवाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— मुख्य सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र कमांक एफ.10( )निवियो / एक्ट / 2020 / 20664 दिनांक 09.03.2021.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के समस्त प्रावधानों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

16/08.
(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि — आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. मुख्य सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र कमांक एफ.10( )निवियो / एक्ट / 2020 / 20664 दिनांक 09.03.2021 के कम में।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आयुक्तालय को यू.ओ. नोट कमांक 5615 दिनांक 29.06.2021 के कम में।
5. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड हेतु।

(डा. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

373
Dated 25/6/21

भाग 7

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।
डायरी संख्या 3502
दिनांक 25/6/21

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक: एफ. 10 ()/निवियो/एक्ट/2020 20664 दिनांक: 09/03/2021

परिपत्र

JD AdM
25/6

JSHE
DSHE
JSTE
CCE

24/6/21.

विषयः–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की पूर्ण पालना करवाये जाने के संबंध में।

राज्य में विशेष योग्यजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करते हुये उनके सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने हेतु एक समावेशी समाज का निर्माण किया जाये। इस हेतु विशेष योग्यजनों को सशक्त करने और समाज मे समान अवसर प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 को पूर्ण रूपेण राज्य में क्रियान्वित किया जाना है। अधिनियम में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए विभिन्न प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धाराओं में यथा दिव्यांगजनों के संबंध में समता और अविभेद, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा दुरूपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण, मतदान में पहुंच, न्याय तक पहुंच, रियायती दर पर भूमि के आवंटन में पाँच प्रतिशत आरक्षण, प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन प्रदान करने, सरकारी संस्थानों में नियमानुसार दिव्यांगजनों को आरक्षण दिये जाने इत्यादि का प्रावधान है, अधिनियम के कुछ प्रावधान निम्नानुसार हैः–

Section-3 (*1*) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others.

Section -5 (*1*) The persons with disabilities shall have the right to live in the community.

(*2*) The appropriate Government shall endeavour that the persons with disabilities are,—

(a) not obliged to live in any particular living arrangement; and

(b) given access to a range of in-house, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living with due regard to age and gender.

Section-6 (*1*) The appropriate Government shall take measures to protect persons with disabilities from being subjected to torture, cruel, inhuman or degrading treatment.

Section-12(*1*) The appropriate Government shall ensure that persons with

7469/28.6.2021
Most Urgent
SO, UVJ.
UO Note to All sections
copy to all colleges
& All Regional ADs
28/06/2021

and without entailing major structural changes in design

Section -42 The appropriate Government shall take measures to ensure that,—

(i) all contents available in audio, print and electronic media are in accessible format;

(ii) persons with disabilities have access to electronic media by providing audio description, sign language interpretation and close captioning;

(iii) electronic goods and equipment which are meant for every day use areavailable in universal design.

उक्तानुसार वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के समस्त प्रावधानों के सम्बन्ध में सभी विभाग/निगम/बोर्ड/आयोग को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। राज्य के विशेष योग्यजनों को समान अवसर प्रदान कराने एवं अधिनियम में वर्णित उपबन्धों के अनुरूप यथोचित कार्यवाही कराकर, की गई कार्यवाही एवं पालना रिपोर्ट से निदेशालय विशेष योग्यजन को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

कमांकः एफ. 10 ()/निवियो/एक्ट/ 2020 20665-755 दिनांकः 09/03/2021

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. समस्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. उपायुक्त, विशेष योग्यजन, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

(गायत्री राठौड़)
प्रमुख शासन सचिव

पताः- जी 3/1 ए. राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर, दूरभाषः- 0141-2222249
विभागीय ई-मेलः- DIR.DSAP@RAJASTHAN.GOV.IN वेबसाइटः-www.dsap.rajasthan.gov.in